

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार बाड़ी

मु.नं. 93/2019

निर्णय दिनांक 25/01/2019

उनवान:- ठाकुर राज डोगरा

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का सर्केगावा ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 693/496 रकबा 1-15 किस्म चाणगाह

बारे ग्राम ठाकुरगा पर ठाकुर ड पुर रघुवर

जाति जाध निवासी ठाकुरगा तहसील बाड़ी

ने सम्बर 2074 रबी/खरीफ में फसल 1-05 घ गेहूँ 0-15 घ जई कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 के

धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी बाड़ी आ

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी ठाकुर ड पुर रघुवर

जाति जाध निवासी ठाकुरगा को आ. ख. नं. 693/496

रकबा 1-15 वारे ग्राम ठाकुरगा से तुरन्त प्रभाव से

बेदखल किया जाता है तथा लगाव का 50 गुना शास्ती राशि 394/- (अक्षर)

रूपेय 394/- आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी

हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। TRA को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली

पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक 25/01/2019 को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

(Handwritten Signature)
 तहसीलदार
 बाड़ी (बाँसपुर) राज.

394-4
 25/1/19